538

10 रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

20 COURT FEE INDIA TWENTY RUPEES

Rs. 30/-

R5442-II/16

1. ननबुदिया बाई पति स्व0 सोनशाह कोल
2. शिवचरण कोल पिता स्व0 सोनशाह कोल
3. ललतू कोल आयु 30 वर्ष पति स्व0 कालीचरण कोल
4. दुर्गा अयु 15 वर्ष
5. शारदा आयु 10 वर्ष
6. करन आयु 8 वर्ष
7. सागर आयु 6 वर्ष

क्रमांक 04 ता 07 नाबालिग पिता स्व0 कालीचरण कोल संरक्षक माता ललतू कोल पति स्व0 कालीचरण कोल सभी निवासी–वार्ड नं. 05 पाली थाना व तहसील पाली जिला–उमरिया म0प्र0 --- **निगरानीकर्तागण**

बनाम

1. कौशल सिंह पिता मंगल सिंह गोंड़
2. भुवन पिता मंगल सिंह
3. दीन कुमारी सिंह पत्नी स्व0 ललन सिंह गोंड़
4. रामेश्वर सिंह पिता प्रहलाद सिंह गोंड़ निवासी–ग्राम खालबहरा थाना तहसील जैतहरी जिला–अनूपपुर म0प्र0
5. रामबिहारी पिता स्व0 जगदीश प्रसाद उपाध्याय
6. राम कुमार पिता स्व0 जमुना प्रसाद उपाध्याय दोनों निवासी–ग्राम बिरसिंहपुर पाली थाना तहसील पाली जिला–उमरिया म0प्र0

----- **गैर निगराकारगण**

अधिवक्ता श्री ... द्वारा पेश 30.9.16

निगरानी विरूद्ध ग्राम पाली का रा0प्र0क्र0 24/अपील/2012–13 आदेश दिनांक 16/08/2016 श्रीमान् कलेक्टर साहब उमरिया म0प्र0 अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

सादर निवेदन है कि पुराना भूमि खसरा क्रमांक 525 रकवा 0.97 एकड़ जिसका नया खसरा क्रमांक 867 रकवा 0.97 एकड़ एवं पुराना खसरा नं. 526 रकवा 2.65 जिसका नया खसरा नं. 864 रकवा 2.65 एकड़ मौजा ग्राम पाली, ज.नं. 408, पटवारी हल्का पाली, राजस्व निरीक्षक मण्डल पाली तहसील पाली जिला–उमरिया म0प्र0 के भूमिस्वामी बंशधारी पिता भगवत सिंह गोंड़ निवासी–पाली के वारिस गजाधर पिता बंशधारी व गोमती पति गजाधर निवासी–पाली ने मुबलिग 60/– रूपये में जमुना प्रसाद उपाध्याय पिता बलभद्र प्रसाद उपाध्याय निवासी पाली को विक्रय कर दिया और कब्जा दखल सौंपकर दूसरे गांव चला गया था उपरोक्त भूमि को जगदीश प्रसाद उपाध्याय राम कुमार उपाध्याय दोनों के

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.- 5442-दो/2016 जिला- उमरिया

ननबुदिया बाई आदि विरूद्ध कौशल सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री कमलेश्वर तिवारी उपस्थित। 3. यह निगरानी कलेक्टर उमरिया, जिला- उमरिया के प्रकरण क्रमांक- 24/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 16-08-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 30-09-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय	

में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 25-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 22/01/19
सदस्य